

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, विनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक

“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च 2018 — फाल्गुन 25, शक 1939

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-11/2010/मबावि/50. — बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्र. 4 लन. 2006) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-11/2010/मबावि/50, दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर तथा इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-11/2010/मबावि/50, नया रायपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2018 के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के अनुसार अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य के रूप में निम्नलिखित की मियुकित करती है, जो 27 जनवरी 2018 से प्रभावी होगी, अर्थात्:-

स. क्र.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्रीमती प्रभा दुबे, रायपुर	अध्यक्ष
2.	श्री अंकित ओझा, दुर्ग	सदस्य
3.	श्री अरविन्द कुमार जैन, कॉकेंट	सदस्य
4.	श्री दिलीप कुमार कौशिक, बिलासपुर	सदस्य
5.	श्रीमती ईंदिरा जैन, रायपुर	सदस्य
6.	श्रीमती मीनाक्षी तोमर, दुर्ग	सदस्य
7.	सुश्री टी. आर. झ्यामा, रायगढ़	सदस्य

उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अनुसार, अध्यक्ष और सदस्य, उस तारीख से, जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे, धारा 20 के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा चिह्नित की जाएं, अध्यक्ष/सदस्य, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 तथा छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के प्रकाश में अपने कर्तव्यों तथा वायित्वों का निर्वहन करेंगे।

No. F 1-11/2010/wcd/50.— In exercise of the powers conferred by Section 18 of the commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (No. 4 of 2006), on the recommendations made by the Selection committee constituted vide this Department's Order No. F 1-11-2010/WCD/50, Dated 31st March 2017, and in pursuance of this department's Order No. F 1-11/2010/WCD/50, Naya Raipur, Dated 27th January, 2018, the State Government, hereby, appoints the following as the chairperson and other members in accordance with sub-section (2) of Section 17 of the said Act with effect from 27th January, 2018, namely :-

S. No.	Name	Chairperson/Member
1.	Smt. Prabha Dubey, Raipur	Chairperson
2.	Shri Ankit Ojha, Durg	Member
3.	Shri Arvind Kumar Jain, Kanker	Member
4.	Shri Dilip Kumar Kaushik, Bilaspur	Member
5.	Smt. Indra Jain, Raipur	Member
6.	Smt. Meenakshi Tomar, Durg	Member
7.	Miss T. R. Shyama, Raigarh	Member

As per sub-section (1) of Section 19 of the said Act the Chairperson and Member shall hold office as such for a term of three years from the date on which he/she assumes office. As per Section 20 the salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chairperson and Members shall be such as may be prescribed by the State Government. The Chairperson/Member shall perform their duties and responsibilities in the light of the provisions mentioned in the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 and Chhattisgarh for Protection of Child Rights Rules, 2009.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आवेशानुसार,
डॉ. एम गीता, सचिव.